

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांक: इ०रा०वि०वि०/कु०स०का०/३५३/२०१७

दिनांक 19.08.2017

संख्या- 1207/सत्तर-4-2017

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2017

विषय:- अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने विषयक ।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान सरकार द्वारा अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया इस संबंध में वर्तमान सत्र 2017-18 हेतु उ०प्र० राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध स्ववित्त पोषित/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के तहत आने वाले व्यय भार सहित सम्यक् प्रस्ताव निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी 07 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०अ०

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)

विशेष सचिव

संख्या-1207(1)/सत्तर-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

ह०अ०

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)

उप सचिव।

संख्या: इ०रा०वि०वि०/कु०स०का०/३५३/२०१७ दिनांक 19.08.2017

उपर्युक्त की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों /संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या व उनसे लिए जाने वाले शुल्कों का मदवार विवरण अधोहस्ताक्षरी को विलम्बतम तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत आदेशानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19.8.17
(डॉ० साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव